आर. जे. शाह एवं अन्य

बनाम

एच. पी. राज्य विद्युत बोर्ड

19 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेंट अपील - हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से लाहौर उच्च न्यायालय के अंतिम उत्तरवर्तन के परिणामस्वरूप एकल न्यायाधीश के आदेश की अपील खण्ड पीठ के समक्ष होगी- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 43 नियम 01

हस्तगत अपील में जो प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न हुआ है, वह आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय के मत की पोषणीयता का है कि लाहौर उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं था और इसलिए लेटर पेटेंट के खंड 9 या खंड 10 के तहत कोई अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पोषणीय नहीं थी और आक्षेपित आदेश 43 नियम 01 की परिधि में नहीं आता है और इसलिए उक्त आदेश के विरुद् कोई अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ में नहीं होगी।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

उच्च न्यायालय ने जुगल किशोर* के मामले में व्यक्त मत को नहीं देखा है। उसके द्वारा गलत तरीके से हाफ़िज़ मोहम्मद मामले में पूर्ण पीठ के फैसले पर निर्भर किया गया, जो कि अपास्त किया जा चुका था। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और जुगल किशोर के मामले के आलोक में विवाद का नए सिरे से निर्णयन के लिए मामले को उसके पास भेजा जाता है। [पैरा 3] [418-जी-एच]**

पी. एस. सथप्पन (मृत) जरिये एल.आर. बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य, **[2004] 11 एस. सी. सी. 672** और जुगल किशोर पालीवाल बनाम एस. सतजीत सिंह एवं अन्य, * **[1984] 1 एस. सी. सी. 358**, का आधार लिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम हाफ़िज़ मोहम्मद सैद** **ए.आई.आर. (1972) दिल्ली 102; आई. एल. आर. (1976) 5 एच. पी. 551**; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अजीत कुमार, **आई. एल. आर. (1976) एच. पी. 24** और आसा सिंह कोच्चर एवं अन्य बनाम दर्शन सिंह कोच्चर एवं अन्य, **आई. एल. आर. (1976) 5 एच. पी. 551, संदर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 1997 की सिविल अपील सं. 5593

1994 के एल. पी. ए. सं. 8 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 28.10.1994 से

के साथ

1997 का सी. ए. सं. 5594

अपीलार्थी के लिए जयदीप गुप्ता, ए. वाई. चिताले, एस. ए. चितके, सुजीता श्रीवासतव, मधुइप सिंघल, आदित्य विकास सिंह, निमेका झा और एस. जनानी।

प्रतिवादी के लिए मनिंदर सिंह, प्रतिभा, एम. सिंह, गौरव शर्मा, राहुल अजातशत्रु और ई. सी. अग्रवाल।

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा प्रदत्त किया गया-

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. वर्तमान अपीलों में, आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय के मत की संधारणीयता के बारे में एक दिलचस्प प्रश्न उठाया गया है कि लाहौर न्यायालय का लेटर्स पेटेंट पोषणीय नहीं था, क्योंकि लेटर्स पेटेंट के खंड 9 या खंड 10 के तहत कोई अपील उच्च न्यायालय में पोषणीय नहीं थी और विवादित आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') के आदेश 43 नियम 1 की परिधि में नहीं आता है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, लाहौर में उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट का हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई प्रवर्तन नहीं है और इसलिए उक्त लेटर्स पेटेंट के लिए खंड 9

या खंड 10 के तहत कोई अपील इस उच्च न्यायालय में पोषणीय नहीं है। हालांकि, सामान्य मूल सिविल क्षेत्रधिकार का प्रयोग करने वाले इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद् अपील का क्षेत्राधिकार दिल्ली अधिनियम की धारा 10 के आधार पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास होगी। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 सपठित धारा 104 के तहत आने वाली डिक्री और अपील योग्य आदेशों के विरुद् उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में, आक्षेपित आदेश स्वीकृत रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 के किसी भी भाग के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए उक्त आदेश के विरुद् इस न्यायालय की खंड पीठ में कोई अपील नहीं होगी।

उपरोक्त कारणों से, अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।"

2. अपीलों के समर्थन में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने लेटर्स पेटेंट के विधायी इतिहास का उल्लेख कियाः 1919 से पहले पंजाब का मुख्य न्यायालय लाहौर में था। लेटर्स पेटेंट को 21.3.1919 को जारी किया गया था। खंड 10 के तहत स्थापित आैर गठित पंजाब उच्च न्यायालय राज्य के भीतर की जाने वाली अपील का प्रावधान करता था। 11.08.1947 को

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 09 के तहत उच्च न्यायालय (पंजाब आदेश), 1947 प्रख्यापित किया गया था। पंजाब उच्च न्यायालय को गठित किया गया एवं दिल्ली में सम्मेलित किया गया। भूतपूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना था। लेटर्स पेटेंट की शक्तियों का प्रयोग पंजाब उच्च न्यायालय में जारी रहा। हिमाचल प्रदेश 'भाग-सी' राज्य था। वह पंजाब उच्च न्यायालय के अधीन था। तत्पश्चात, विभिन्न 'भाग-सी' राज्यों में पृथक से न्यायिक आयोग का न्यायालय ने कार्य आरंभ किया। 26.01.1950 को न्यायिक आयोग के न्यायालय (उच्च न्यायालय की घोषणा), 1950 द्वारा न्यायिक आयोग को उच्च न्यायालय घोषित किया गया था। 1.7.1954 को नए राज्य अधिनियम, 1954 द्वारा दो 'पार्ट-सी' राज्यों हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर का विलय किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक न्यायिक आयोग था। 1.11.1956 को संविधान (7 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा 'भाग-सी' राज्यों को समाप्त कर दिया गया था। तदनुसार, पूर्ववर्ती भाग-सी राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया। 1.5.1967 को दिल्ली (उच्च न्यायालय) अधिनियम, 1966 लागू हुआ। मूल पंजाब उच्च न्यायालय से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को अलग करके हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया। धारा 5 के तहत, पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों का प्रयोग दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सम्मेलित था।

तदनुसार, न्यायिक आयोग, हिमाचल प्रदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। 25.12.1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। अधिनियम की धारा 23 ने इस स्थिति को स्पष्ट किया।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित निर्णय की नींव दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का एक निर्णय है, जिसने निर्णय दिया कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश उसके सामान्य मूल क्षेत्राधिकार में है, तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष कोई लेटसर् पेटेंट अपील नहीं होगी (दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम हाफ़िज़ मोहम्मद सेद ए.आई.आर. (1972) दिल्ली 102 देखें)। खंड पीठ को आक्षेपित निर्णय में जुगल किशोर पालीवाल बनाम एस. सतजीत सिंह एवं अन्य [1984] 1 एस. सी. सी. 358 और पहले के दो फैसले आशा कोच्चर के मामले आईएलआर (1976) 5 एच. पी. 551 और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अजीत कुमार, आई. एल. आर. (1976) एच. पी. 24 का अनुसरण करना चाहिए था। जुगल किशोर के मामले (ऊपर) को इस नयायालय ने स्पष्ट रूप से हाफ़िज़ मोहम्मद सेद के मामले में खारिज किया था। उच्च न्यायालय ने जुगल किशोर के मामले (ऊपर) में व्यक्त विचार पर ध्यान

नहीं दिया है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते है, जुगल किशोर के मामले (ऊपर) के आलोक में आैर इस न्यायालय द्वारा पी. एस. सथप्पन (मृत) जरिये एल. आर. बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य, [2004] 11 एस. सी. सी. 672 में व्यक्त मत को दृष्टिगत रखते हुए विवाद का नए सिरे से फैसला करने के लिए मामले को उसके पास भेजते है।

4. अपीलें तदनुसार निस्तारित की जाती हैं।

डी जी।

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुयश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।